लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था)

संस्थान के भोजनालय (मैस) के संचालन एवं रखरखाव हेतु अकुशल श्रमिकों की बाह्य स्रोतों से तैनाती हेतु वार्षिक अनुबंध प्रदान करने के लिए निविदा आमंत्रण प्रपत्र

ए. पात्रता मानदंड :

(i) बोली लगाने की तिथि पर निम्नलिखित अधिनियमों के तहत वैध पंजीकरण/ लाइसेंस आवश्यकता हैं:-

ए) भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी अथवा कानूनी रूप से गठित कॉरपोरेट निकाय अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत भागीदार कंपनी अथवा मालिकाना स्वामित्व (इस संबंध में साक्ष्य के रूप में स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज़ संलग्न करें);

बी) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (पिछले तीन माह की ईपीएफ जमा रकम की ऑनलाइन ईसीआर की प्रति संलग्न करें);

सी) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (पिछले तीन माह के ईएसआई जमा रकम के चालान की प्रति संलग्न करें);

डी) सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम (पिछले तीन माह के जीएसटी रिटर्न के साथ पंजीकरण पत्र संलग्न करें);

ई) आयकर अधिनियम (पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें);

एफ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुबंध श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पंजीकरण की प्रति संलग्न करें);

(ii) 31 मार्च 2018 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार, अनुमानित लागत का कम से कम 80% होना चाहिए (निविदा पत्र में दिए गए निर्धारित प्रारूप में किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए "कारोबार प्रमाण पत्र" के साथ पिछले तीन वर्ष की लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरणी और आयकर रिटर्न संलग्न करें);

(iii) निविदा के अनुसार किसी सरकारी संगठन/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ शासकीय शैक्षिक संस्थान/ अन्य एजेंसियों (अन्य एजेंसियों से अभिप्राय सांविधिक निकाय एवं केंद्र/ राज्य सरकार के स्वामित्व और/या नियंत्रणाधीन सभी निकायों से है।)में पिछले 07 वर्ष के दौरान (सितम्बर 2019 तक) समान प्रकृति के कार्य [भोजनालय का संचालन अथवा भोजनालय के संचालन हेतु श्रमिक उपलब्ध कराना] को सफलतापूर्वक/ संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने का निम्नवत अनुभव :-

समान प्रकृति के ऐसे तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 40% से कम न हो।

अथवा

समान प्रकृति के ऐसे दो कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 50% से कम न हो।

अथवा

समान प्रकृति का एक ऐसा कार्य, जिसकी लागत कुल अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।

[उपर्युक्त कार्य आदेशों की प्रतिलिपि के साथ संबंधित ठेका पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न करें।]

(iv) बोलीकर्ता किसी सरकारी संगठन/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ शासकीय शैक्षिक संस्थान/ अन्य एजेंसियों, जिसका अभिप्राय सांविधिक निकाय एवं केंद्र/ राज्य सरकार के स्वामित्व और/या नियंत्रणाधीन सभी निकायों से है, में समान प्रकृति के कार्य (भोजनालय का संचालन अथवा भोजनालय के संचालन हेतु श्रमिक उपलब्ध कराना) के लिए संस्थान के कार्यों हेतु आवश्यक कुल श्रम शक्ति का कम से कम 80% प्रदान करता रहा है, इस संबंध में संगठन-वार सूची और पिछले तीन महीनों की एनईएफटी द्वारा भुगतान का दस्तावेजी साक्ष्य, श्रमिकों के नाम एवं भुगतान किए गए वेतन का विवरण प्रस्तुत करें ;

(v) बोलीकर्ता का ग्वालियर में कार्यालय है, जिसमें दूरभाष, ईमेल आदि जैसी प्रभावी संचार सुविधाएं और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए (इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें) पर्याप्त संख्याबल मौजूद है। यदि ऐसा नहीं है, तो बोलीकर्ता को इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि ठेका प्राप्त होने की स्थिति में, वे इसके प्रारंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर ग्वालियर में कार्यालय खोलेंगे ;

(vi) बोलीकर्ता कंपनी का अपना बैंक खाता है (पिछले एक माह के ब्योरे के साथ खाते का विवरण दें);

(vii) इस आशय की घोषणा रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर शपथपत्र द्वारा प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, कि ;

(ए) बोलीकर्ता कंपनी अथवा फर्म के स्वामी/ फर्म/ भागीदार के विरुद्धकिसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(बी) बोलीकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी, आयकर जैसे वैधानिक देयों के भुगतान में चूक नहीं की है।

(सी) बोलीकर्ता को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ शासकीय शैक्षणिक संस्थान/ निजी संगठन संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है;

(डी) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोलीकर्ता का कोई भी अनुबंध समाप्ति तिथि के पूर्व निरस्त नहीं किया गया है।

बी. निविदा फार्म लागत एवं बयाना राशि जमा :

1. निविदा प्रपत्र नि:शुल्क है, जिसे बोलीकर्ता द्वारा संस्थान की वेबसाइट या सीपीपीपी से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. निविदा दस्तावेजों के साथ बयाना राशि को "रजिस्ट्रार, एलएनआईपीई" के पक्ष में, ग्वालियर में देय बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है।
3. निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद बोलीकर्ता की ईएमडी को विमुक्त/ वापस कर दिया जाएगा।
4. ऐसे प्रतिदाय पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. किसी बोलीकर्ता द्वारा दिए गए कार्य को ग्रहण करने से मना करने पर, अथवा अनुबंध के लिए चयनित हो जाने के उपरांत निष्पादन सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

सी. बोली लगाने हेतु प्रक्रिया :

1. निविदाओं को मुख्य सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके ऊपर "**संस्थान के भोजनालय (मैस) के संचालन एवं रखरखाव हेतु अकुशल श्रमिकों की बाह्य स्रोतों से तैनाती हेतु वार्षिक अनुबंध प्रदान करने के लिए निविदा**" लिखा होना चाहिए। यह लिफाफा उप कुलसचिव (संपदा) के कार्यालय में रखे हुए निविदा बॉक्स में दि. 13.11.2019 को सायं 03 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।
2. निविदा को स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कोरियर द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं, जिसके ऊपर उपर्युक्त विषय स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो तथा यह उप कुलसचिव (संपदा), एलएनआईपीई, रेसकोर्स रोड, शक्तिनगर, ग्वालियर 474002 (म.प्र.) के कार्यालय में दि. 13.11.2019 को सायं 03 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।
3. निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त हुई निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा।
4. **मुख्य निविदा लिफाफे** में निम्नलिखित तीन सीलबंद लिफाफे रखे होने चाहिए :-

   लिफाफा क्रमांक 1 - **संलग्नक 'ए'** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मांग ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के रूप में ईएमडी (बोलीकर्ता को बैंक ड्राफ्ट के पीछे फर्म का नाम और आवेदित निविदा के बारे में लिखना होगा)
   (लिफाफे के ऊपर **'ई.एम.डी.'** लिखें) ;

   लिफाफा क्रमांक 2 - **संलग्नक 'बी' एवं 'सी'** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में **"तकनीकी बोली"**, अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ
   (लिफाफे पर **"तकनीकी बोली"** लिखें) ;

   लिफाफा क्रमांक 3 - **संलग्नक 'डी'** में दिए गए प्रारूप में "**वित्तीय बोली**"
   (लिफाफे पर **"वित्तीय बोली"** लिखें) ;

5. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के सभी पृष्ठ विधिवत पृष्ठ-क्रमांकित होने चाहिए।

6. सशर्त बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

7. संस्थान किसी भी समय तकनीकी बोली खोलने से पहले किसी भी कारणवश, निविदा दस्तावेज को संशोधित कर सकता है, जिसकी सूचना संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जिसके लिए संभावित बोलीकर्ताओं को अलग से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी।

8. पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश को प्रतिशत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसे इस उद्देश्य हेतु निर्धारित कॉलम में अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना चाहिए।

9. यदि कोई बोलीकर्ता अपनी वित्तीय बोली में पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश को "निरंक" या "3% से कम" शुल्क लिखता है, तो बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. बोलीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ पठनीय हों और स्पष्ट रूप से भरी गयी हों, तथा तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के सभी पृष्ठों पर बोलीकर्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।

11. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की ओवर-राइटिंग या संशोधन या भरे हुए फॉर्म में कटौती होने पर इसे सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है।

12. बोलीकर्ता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व परिसर का निरीक्षण कर लेना चाहिए ताकि बोली लगाने से पहले कार्य संबंधी आवश्यकताओं का पूरी तरह से आकलन कर सकें। बोलीकर्ताओं द्वारा तकनीकी बोली प्रारूप में इसकी घोषणा करनी आवश्यक है।

13. बोलीकर्ता, बोली प्रक्रिया के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करेंगे। यदि बोलीकर्ता इस निविदा प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा किसी एजेंट के माध्यम से, भ्रष्ट प्रक्रिया, धोखाधड़ी या अवांछनीय कार्य में संलग्न पाये जाते हैं, तो संस्थान निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

14. निविदाकर्ताओं की पात्रता का परीक्षण उनके द्वारा निविदा प्रक्रिया में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

15. संस्थान के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय बोलीकर्ता के लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

16. संस्थान को बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की सत्यता को जांचने के लिए किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति को देखने का अधिकार है।

17. यह निविदा, निविदा के खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक स्वीकृति हेतु वैध रहेगी।

डी. बोलियों का खुलना:

1. सर्वप्रथम तकनीकी बोली और ईएमडी वाले आंतरिक लिफाफों को **दि.13.11.2019** को सायं 04 बजे एलएनआईपीई, ग्वालियर में बोलीकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोला जाएगा।

2. केवल तकनीकी बोली में सफल रहे बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली वाले लिफाफे को बाद में बोलीकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में खोला जाएगा। सफल बोलीकर्ताओं को दिनांक और समय की सूचना अलग से प्रदान की जायेगी।

3. यदि किसी कारण से उपर्युक्त तिथि को कार्यालय में अवकाश होता है, तो बोलियों को अगले कार्य दिवस पर उसी समय खोला जाएगा।

ई. बोलियों का अस्वीकृत होना :

1. यदि उपर्युक्त वर्णित एवं तकनीकी बोली प्रपत्र में भरे गए सभी अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है या निविदा शुल्क और/ या ईएमडी के बिना प्रस्तुत किया गया है, तो बोलीकर्ता की बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा;

2. बोलीकर्ता द्वारा किसी भी रूप में सिफारिश या प्रचार करने पर उसकी बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत किया जा सकता है।

3. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा और तदनुसार इसे प्रारूप (तकनीकी और वित्तीय) में भरना होगा। ऐसा न करने पर संस्थान को निविदा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
4. अहस्ताक्षरित या अपूर्ण निविदाओं को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

5. संस्थान को बिना कोई नोटिस दिए या कारण बताए, किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

6. तकनीकी बोलियों के आधार पर निरस्त बोलीकर्ताओं के साथ किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा।
7. संस्थान के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बोलीकर्ता को स्वीकार्य होगा।

एफ. ठेके की अवधि :

1. ठेके के दिनांक 01.12.2019 से प्रारंभ होने की संभावना है और इस निविदा दस्तावेज के शर्तों और दशाओं पर इसकी अवधि एक वर्ष होगी।

2. संस्थान को पूर्ववर्ती अवधि/ वर्ष के दौरान ठेकेदार फर्म के संतोषजनक निष्पादन के आधार पर ठेके को वार्षिक आधार पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का अधिकार है, बशर्ते कि ठेकेदार समान शर्तों और दशाओं पर कार्य करने के लिए सहमत हो।

3. ठेकेदार फर्म द्वारा सेवा या निष्पादन में कमी होने पर ठेके को निर्धारित समयावधि के पूर्व भी बंद/ समाप्त किया जा सकता है।

4. ठेके की अवधि के पूरा होने पर यह स्वत: समाप्त हो जाएगा, जब तक कि उपर्युक्त विवरण के अनुसार ठेका अवधि में विस्तार न किया गया हो।

जी. निष्पादन सुरक्षा जमाराशि :

1. सफल बोलीकर्ता फर्म को आशय पत्र (लैटर ऑफ इन्टैंट) जारी किया जाएगा, जो कार्य आदेश माना जायेगा।
2. सफल बोलीकर्ता को लैटर ऑफ इन्टैंट (LOI) जारी होने के 10 दिन के भीतर संस्थान में अपनी लिखित स्वीकृति, रु. 100/- का गैर-न्यायिक स्टांप (संस्थान के साथ अनुबंधपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु) एवं निष्पादन सुरक्षा जमाराशि, जोकि निविदा प्रपत्र के अनुसार कुल ठेका मूल्य की 10% होगी, को ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से अथवा एलएनआईपीई के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से अथवा कुलसचिव, एलएनआईपीई, ग्वालियर के नाम पर सावधि जमा के माध्यम से जमा करनी होगी, जिसे ठेकेदार के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तिथि से न्यूनतम साठ दिनों की अवधि तक वैध होना चाहिए।
3. ठेका अवधि या विस्तारित ठेका अवधि, यदि हो, के सफल / संतोषजनक रूप से पूर्ण होने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति के बाद ठेकेदार के लिखित अनुरोध पर निष्पादन सुरक्षा जमाराशि वापसी योग्य है, बशर्ते ठेकेदार ने संस्थान की संतुष्टि के अनुसार अपने सभी संविदात्मक/ वैधानिक दायित्वों को पूरा किया हो, अन्यथा इसे सुरक्षा जमाराशि से ही समायोजित किया जाएगा।
4. इस निष्पादन सुरक्षा जमाराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदा में निर्धारित किसी भी शर्त और दशा के उल्लंघन होने की स्थिति में, संस्थान द्वारा ठेका रद्द करने के अलावा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि को भी ज़ब्त कर लिया जाएगा।
6. यदि ठेकेदार फर्म, किसी भी कारणवश ठेके की निर्धारित अवधि के लिए सेवा प्रदान करने में विफल रहता है या संस्थान की संतुष्टि के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, या ठेके की किसी शर्त और दशा का उल्लंघन करता है, तो संस्थान के पास ईएमडी और/ अथवा निष्पादन सुरक्षा जमाराशि को जब्त करने और जैसा भी मामला हो, ठेके को समाप्त करने का अधिकार होगा। संस्थान के पास ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी अधिकार होगा।

एच. श्रमशक्ति की आवश्यकता :

1. ठेकेदार फर्म पूरे परिसर में निर्दिष्ट रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी, एवं उसे समय-समय पर संस्थान की अनुसूची के अनुसार 8½ घंटे की ड्यूटी पर निविदा फार्म में निर्दिष्ट की गयी संख्या के अनुसार श्रमिकों की तैनाती करती है।

2. ठेकेदार फर्म समय-समय पर आवश्यक संख्या में श्रमिकों की तैनाती करेगी और संस्थान में तैनात श्रमिकों के उपयुक्त आचरण को सुनिश्चित करेगी और वह तैनात किए गए श्रमिकों की अनुशासनहीनता के मामले में उत्तरदायी होगी।

3. चूंकि यह ठेका भोजनालय के संचालन एवं रखरखाव से संबंधित है, अत: ठेकेदार सिर्फ ऐसे श्रमिकों की तैनाती करेगा, जो भोजनालय की संचालन कार्यप्रणाली से अवगत हों एवं भोजनालय में सभी प्रकार के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु इच्छुक हों।

4. ठेकेदार फर्म संस्थान में उनके द्वारा तैनात किए गए प्रत्येक श्रमिक की फोटो पहचान, आयु, पता, शैक्षिक योग्यता आदि संबंधित सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने और सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगी।

5. समय-समय पर आवश्यकतानुसार यथानुपात आधार पर वर्तमान निविदा में निर्धारित कर्मियों की संख्या को 20% तक बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु संस्थान द्वारा कम से कम दो दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा।

6. तैनात व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी और निर्धारित आयु-सीमा प्राप्त करते ही ठेकेदार को व्यक्तियों की तैनाती रोकनी होगी।

7. 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति तैनात नहीं किया जाएगा। बाल श्रमिक के नियोजन की जानकारी मिलने पर किसी भी समय ठेके को समाप्त किया जा सकता है।

8. ठेकेदार द्वारा मौजूदा व्यक्तियों को उनकी पारस्परिक स्वीकृति के अधीन तैनात किए जाने पर और वर्तमान निविदा दस्तावेज द्वारा शासित होने पर सहमत होने के लिए संस्थान को कोई आपत्ति नहीं है।

9. सेवा प्रदाता ठेकेदार संस्थान में ड्यूटी के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित, अनुशासित, शारीरिक रूप से चुस्त और सतर्क कार्मिकों को तैनात करेगा।

10. संस्थान में ड्यूटी पर तैनात सभी कार्मिकों को हिंदी भाषा पढ़ना और लिखना आना चाहिए।

11. तैनात कार्मिक की वेशभूषा बेहतर होनी चाहिए और उसे मानसिक रूप से स्वस्थ दिखना चाहिए तथा किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

12. ठेकेदार को संस्थान में ऐसे किसी कार्मिक को तैनात नहीं करना चाहिए जो चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हो।

13. ठेकेदार फर्म तैनात किए गए कर्मियों के व्यवहार और आचरण के लिए जिम्मेदार होगी। ठेकेदार फर्म द्वारा संदिग्ध सत्यनिष्ठा या बुरे रिकॉर्ड वाले किसी भी कर्मचारी को तैनात नहीं किया जाएगा।

14. श्रमशक्ति की आवश्यकता का विवरण "कार्य का दायरा" के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार होगा।

15. संस्थान के दोनों भोजनालयों को संचालित रखने के लिए भोजनालय की कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की कार्य अवधि सप्ताह में 06 कार्यदिवस के आधार पर सामान्यत: एक दिन में

8½ घंटे होगी, यानि प्रात: 9.30 से सायं 6.00 बजे तक (एक घंटे के भोजनावकाश सहित), जो कि समय-समय पर दो पालियों (सुबह और शाम) में भी हो सकती है।

16. ठेकेदार फर्म समय-समय पर लागू कानून के अनुसार तैनात कार्मिकों को भुगतान के रूप में साप्ताहिक अवकाश प्रदान करेगी और कोई भी कार्मिक संस्थान में दिन में 8½ घंटे की पाली से अधिक ड्यूटी पर नहीं होगा। हालांकि, जब किसी श्रमिक को दिन में चार घंटे से अधिक समय तक अतिरिक्त ड्यूटी पर रखा जाता है, तो उसे इसके एवज में एक सवैतनिक अवकाश (पेड – ऑफ) दिया जाएगा, जिसे 30 कैलेंडर दिवस के भीतर ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह कालातीत हो जाएगा।

17. किसी कार्मिक के नौकरी छोड़ने या अवकाश पर जाने की संभावना होने पर, ठेकेदार फर्म को पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

18. तैनात किए गए श्रमिक हमेशा उचित वर्दी में होंगे, जिसे समय-समय पर संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ड्यूटी पर तैनाती के दौरान उनका पहचान पत्र प्रदर्शित होना चाहिए।

19. ठेकेदार फर्म अपने कार्मिकों को कम से कम दो वर्दी सेट प्रदान करेगी।

20. ठेकेदार फर्म पखवाड़े में कम से कम एक बार अपने कार्मिकों का भौतिक निरीक्षण करेगी और संस्थान के संबंधित अनुभाग में रखे उपस्थिति रजिस्टर पर प्रतिहस्ताक्षर करेगी।

आई. ठेकेदार फर्म का कार्य दायरा :

जैसा कि प्रत्येक कार्य के लिए अलग से **परिशिष्ट-I** में निर्धारित किया गया है।

जे. पारिश्रमिक का भुगतान :

1. ठेकेदार फर्म संस्थान में तैनात सभी कार्मिकों को आगामी माह की 5वीं तारीख तक केवल बैंक हस्तांतरण (NEFT) के माध्यम से पारिश्रमिक के वितरण की व्यवस्था करेगी। पारिश्रमिक का नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. तैनात कार्मिकों का पारिश्रमिक केंद्रीय पारिश्रमिक दरों से संबंद्ध है। अत: ठेकेदार फर्म को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भारत सरकार, नईदिल्ली द्वारा समय-समय पर ग्वालियर शहर के लिए कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक के अनुसार भुगतान करना होगा।

3. ठेकेदार फर्म समय-समय पर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भारत सरकार, नईदिल्ली द्वारा पारिश्रमिक की दरों में किए गए संशोधन के बारे में संस्थान को सूचित करेगी और तदनुसार पारिश्रमिकों का संवितरण सुनिश्चित करेगी, और ऐसे मामलों में, संस्थान समय-समय पर आवश्यकतानुसार अंतर राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

4. ठेकेदार द्वारा तैनात श्रमिकों को किए गए सभी भुगतान संस्थान की संतुष्टि हेतु हर समय निरीक्षण / सत्यापन हेतु खुले रहेंगे।

5. यदि संस्थान को पारिश्रमिक के कम वितरण या किसी भी प्रकार के कदाचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संस्थान इस मामले में पूछताछ करेगा और मामले में उचित कार्रवाई करेगा, जो ठेकेदार फर्म पर बाध्यकारी होगी।

6. ठेकेदार फर्म लागू कानूनों के अनुसार समय पर पारिश्रमिक के भुगतान, विश्राम आदि प्रदान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी, और इस संबंध में संस्थान किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

7. तैनात कार्मिक ठेकेदार फर्म के कर्मचारी होंगे, न कि संस्थान के कर्मचारी होंगे और ठेकेदार फर्म उन्हें किसी भी स्थिति में, केंद्रीय पारिश्रमिक दरों / न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार लागू अनिवार्य न्यूनतम दरों से कम पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करेगी।

8. ठेकेदार फर्म समय-समय पर लागू विभिन्न कानूनों के तहत ईपीएफ, ईएसआई आदि जैसे कल्याणकारी उपायों के लिए सभी तरह के भुगतानों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

के. ठेकेदार फर्म को देय पर्यवेक्षी प्रभार / लाभ-गुंजाइश :

1. बोलीकर्ताओं को वित्तीय बोली में मूल पारिश्रमिक के प्रतिशत (%) में केवल पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश को प्रस्तावित करने की आवश्यकता होगी।

2. पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भारत सरकार, नईदिल्ली द्वारा समय-समय पर ग्वालियर शहर के लिए कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित मूल पारिश्रमिक पर एवं ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए श्रमिकों के किए गए भुगतान पर देय होगा। अन्य शब्दों में, वीडीए, ईपीएफ (नियोक्ता का अंश), ईएसआई (नियोक्ता का अंश) आदि जैसे अवयव, पर्यवेक्षी शुल्क/ लाभ गुंजाइश की गणना के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश पूरी अनुबंध अवधि, विस्तारित अवधि और/ या कार्य के पुन: सौंपने के दौरान, जैसा भी मामला हो, प्रतिशत में तय एवं नियत होगा।

4. पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश को पूरे अंकों में अथवा दशमलव बिंदु के बाद अधिकतम दो अंकों तक निश्चित प्रतिशत (%) के रूप में उद्धृत किया जाना चाहिए।

5. बोलीकर्ता का चयन उनके द्वारा उद्धृत न्यूनतम पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश के आधार पर ही किया जाएगा।

6. दो या उससे अधिक बोलीकर्ताओं द्वारा समान प्रभार उद्धृत किए जाने की स्थिति में, उसी बोलीकर्ता की बोली को स्वीकार किया जाएगा, जिसका विधिवत रूप से लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरणी के अनुसार पिछले तीन वर्ष का औसत कारोबार सबसे अधिक होगा।

7. यदि कोई बोलीकर्ता अपनी वित्तीय बोली में पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश को "निरंक" या "3% से कम" शुल्क लिखता है, तो बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश में ठेकेदार के लाभ और न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, अनुबंध श्रमिक (आर एंड ए) अधिनियम, ग्रेच्युटी, साप्ताहिक अवकाश, प्रतिस्थापन प्रभार, वर्दी की लागत जैसे वैधानिक दायित्व और यूनिफ़ॉर्म, ड्यूटी के लिए सामग्री, चिकित्सीय फिटनेस जांच, चरित्र/पूर्ववृत्त सत्यापन, श्रमिक लाइसेंस हेतु अन्य संबंधित खर्च, कल्याणकारी उपायों (ई.पी.एफ., ई.एस.आई.), जी.एस.टी. इत्यादि हेतु होने वाले प्रशासनिक शुल्क शामिल होंगे ।

9. उपर्युक्त राशि के अलावा संस्थान द्वारा कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा, सिवाय बोनस के, जिसकी प्रतिपूर्ति ऑनलाइन तरीके से एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से मजदूरों को किए गए भुगतान के दस्तावेजी सबूत के साथ बिल जमा करने पर संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार की जाएगी (जैसा कि मजदूरी के भुगतान के मामले में किया जा रहा है)।

10. संस्थान को बोलीकर्ताओं से प्रस्तावित पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश का स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है।

एल. जुर्माना :

1. ठेकेदार फर्म, परिसर में निर्धारित तरीके से अनुबंध के कार्य को करने के लिए कर्तव्य-बद्ध है और यदि संस्थान को ऐसा लगता है कि ठेकेदार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, या उसके कार्य में कोई कमी है, तो वह मामले की सुनवाई के बाद एजेंसी पर उपयुक्त दंड लगा सकता है।

2. किसी भी दिन तैनात व्यक्ति(यों) के अनुपस्थिति होने पर ठेकेदार के मासिक बिल से श्रमिक के अनुपस्थित होने की अवधि तक रु. 500 / - प्रति व्यक्ति(यों) प्रतिदिन की दर से जुर्माना तथा दैनिक पारिश्रमिक के बराबर राशि वसूल की जाएगी।

3. ड्यूटी पर तैनात कोई भी व्यक्ति काम समय के दौरान संस्थान में किसी भी स्थान पर किसी भी तरह का निजी कार्य नहीं करेगा। ऐसा करने पर बिना किसी नोटिस के उचित जुर्माना लगाया जाएगा।

4. यदि किसी भी समय संस्थान द्वारा यह पाया जाता है कि ड्यूटी पर तैनात किए गए संविदा कर्मी, तैनात कर्मियों की दी गयी सूची से भिन्न हैं, तो संस्थान को ऐसे चिन्हित कर्मियों के देय वेतन से पांच गुना अधिक जुर्माना वसूल करने का अधिकार होगा।

5. ठेकेदार फर्म वर्तमान निविदा प्रक्रिया हेतु दिए गए अनुबंध के परिणामस्वरूप हर समय संस्थान की किसी संपत्ति को हुई क्षति या नुक्सान अथवा किसी अन्य पक्ष/ तीसरे पक्ष द्वारा संस्थान के खिलाफ अधिरोपित किए गए नुक्सान का हर्जाना देने हेतु बाध्य होगी।

6. ठेकेदार फर्म अपने तैनात कर्मचारियों की अनुपस्थिति होने पर उपयुक्त वैकल्पिक/ स्थानापन्न व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, अन्यथा संस्थान ऐसी अनुपस्थिति होने पर ठेकेदार फर्म पर देय पारिश्रमिक का दोगुना जुर्माना लगा सकता है।

7. संस्थान किसी भी समय निविदा में निर्धारित की गयी शर्तों और दशाओं का उल्लंघन होने पर ठेकेदार फर्म को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उचित जुर्माना लगाने का अधिकार रखता है। संस्थान के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और ठेकेदार फर्म को स्वीकार्य होगा।

एम. ठेके की समाप्ति :

1. संस्थान निविदा और/ या अनुबंध की शर्तों के पालन न होने की स्थिति में किसी भी समय वर्तमान निविदा प्रक्रिया के अनुसार दिए गए ठेके को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

2. दोनों पक्षों को किसी भी समय दो महीने के नोटिस पर बिना कोई कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। हालांकि, संस्थान अपने संपूर्ण विवेकाधीन, ठेके की परिपक्वता अवधि के पूर्व, नोटिस अवधि के एवज में दो महीने के पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश के बराबर राशि का भुगतान कर, बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से ठेके को समाप्त करने का अधिकार रखता है।

3. ठेका निरस्त होने या इसकी अवधि समाप्त होने पर या अन्यथा किसी मामले में ठेकेदार फर्म द्वारा तैनात व्यक्ति संस्थान में स्थायी रोजगार या कार्य निरंतरता के लिए पात्र नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए कार्मिक सभी उद्देश्यों के लिए केवल ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और संस्थान किसी भी वजह से ठेकेदार के किसी भी कार्मिक के साथ कर्मचारी-नियोक्ता संबंध को मान्यता नहीं देगा।

4. ठेकेदार फर्म, ठेके के निरस्त होने / अवधि समाप्त होने पर उनके द्वारा तैनात सभी कार्मिकों को वापस बुला लेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी कार्मिक संस्थान के सुचारू कामकाज में कोई व्यवधान / बाधा उत्पन्न न करें।

5. ठेका प्राप्त होने के बाद भी, यदि ठेकेदार फर्म द्वारा प्रस्तुत किसी भी जानकारी/ तथ्यों को भ्रामक/ गलत/ या झूठा पाया जाता है, अथवा कुछ भी छुपाया जाता है, तो संस्थान को ठेका अवधि के दौरान किसी भी समय ठेकेदार फर्म को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद ठेके को समाप्त करने का अधिकार होगा।

6. ठेके की निरंतरता के दौरान यदि किसी भी समय इस अनुबंध के अनुसार तय दायित्व के तहत किसी भी पक्ष द्वारा किसी युद्ध या शत्रुता, सार्वजनिक दुश्मनी के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट इत्यादि कारणों से पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य निष्पादन रोका या बिलंबित किया जाता है, तो दूसरा पक्ष बिना किसी नोटिस के ठेका समाप्त करने का अधिकारी होगा।

एन. बिलों की भुगतान प्रक्रिया :

1. ठेकेदार फर्म तैनात श्रमिकों को पारिश्रमिक का वितरण करेगी, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उनसे संबंधित ईपीएफ, ईएसआई और उचित जीएसटी का भुगतान करेगी और उसके बाद भुगतान किए गए पारिश्रमिक, ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी आदि के साथ-साथ पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश के अंतिम रूप से तय किए गए प्रतिशत का दावा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ यथासंभव शीघ्रता से मासिक बिल जमा करेगी :-

ए. उपस्थिति / तैनानी हाजिरी रजिस्टर ;

बी. माह के दौरान तैनात किए गए कार्मिकों की सूची, जिसमें उनके कर्मचारी कोड, जन्म तिथि, यूएएन, तैनाती के दिनों की संख्या इत्यादि का विवरण हो,

सी. तैनात किए गए सभी श्रमिकों के परिचय पत्र की प्रतियां;

डी. एनईएफटी या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से माह के दौरान तैनात कार्मिकों के संबंधित बैंक खातों में मासिक पारिश्रमिक भुगतान के प्रेषण दस्तावेज;

ई. सभी तैनात मजदूरों की बायो-मेट्रिक उपस्थिति की प्रति;

एफ. इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) के साथ ईपीएफ का संयुक्त चालान;

जी. अंशदान इतिहास के साथ ईएसआई प्रेषण;

एच. सभी कार्मिकों की मासिक वेतन पर्ची;

आई. बिल में दावा किए गए जीएसटी के भुगतान से संबंधित दस्तावेज।

2. किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार फर्म को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

3. ठेकेदार फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल, संस्थान द्वारा जाँच और सत्यापन के अधीन होंगे और इनका भुगतान कार्य के संतोषजनक निष्पादन एवं उपस्थिति पत्रक पर प्रभारी पर्यवेक्षक के अभिप्रमाणन के बाद ही किया जाएगा।

4. संस्थान द्वारा ठेकेदार फर्म के बिलों का भुगतान, यदि यह हर दृष्टि से उचित है, उपयुक्त समयावधि के भीतर किया जाएगा।

5. संस्थान ऐसे भुगतानों पर लागू मौजूदा कानूनों के अनुसार कटौती भी करेगा।

ओ. व्यावसायिक नैतिकता और गोपनीयता का रखरखाव :

1. ठेकेदार फर्म, उनके अधिकृत प्रतिनिधि, कर्मचारी, और कार्मिक ठेके की अवधि के दौरान उच्चतम स्तर के नैतिक मानकों का पालन करेंगे ।

2. ठेकेदार को व्यावसायिक नैतिकता और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है और किसी व्यक्ति/ पार्टी/ फर्म या किसी तीसरे पक्ष के साथ संस्थान के आंतरिक विवरण को साझा नहीं करना चाहिए।

3. बोलीकर्ता/ ठेकेदार प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से निविदा प्रक्रिया या अनुबंध क्रियान्वयन में शामिल संस्थान के कर्मचारियों या किसी तीसरे व्यक्ति को किसी भी तरह की सामग्री या अन्य लाभ की पेशकश, वादा नहीं करेगा, जिसके लिए वे कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं।

4. बोलीकर्ता/ ठेकेदार आईपीसी/ पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे।

पी. ठेके की अन्य शर्तें और दशायें :

1. जैसे ही ठेकेदार फर्म कार्य को स्वीकार कर लेती है और निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कर देती है, तो संस्थान उसे तत्काल उपयुक्त प्रपत्र में एक पत्र जारी करेगा, जिससे वह संस्थान में निर्दिष्ट व्यक्तियों के रोजगार के लिए अनुबंध करने के लिए श्रम लाइसेंस प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सके। ठेकेदार फर्म अनुबंध प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संस्थान को प्राप्त हुए लाइसेंस की एक प्रति प्रस्तुत करेगी, अन्यथा ठेका स्वत: समाप्त हो जाएगा और निष्पादन सुरक्षा जमाराशि जब्त कर ली जाएगी।

2. ठेकेदार फर्म आवश्यकतानुसार पूर्वोक्त लाइसेंस की वैधता का नवीनीकरण भी सुनिश्चित करेगी और संस्थान की ओर से किसी तरह के संदर्भ या अनुरोध के बिना समय-समय पर संस्थान में इसकी प्रतियां जमा कराती रहेगी।

3. संस्थान और ठेकेदार फर्म के बीच का संबंध ग्राहक और सेवाप्रदाता का होगा और ठेकेदार फर्म के किसी भी कर्मचारी को संस्थान का कर्मचारी नहीं माना जाएगा।

4. तैनात कार्मिक की वेशभूषा बेहतर होनी चाहिए और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

5. ठेकेदार, संस्थान में ऐसे किसी व्यक्ति को तैनात नहीं करेगा, जो सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन हेतु चिकित्सकीय रूप से अयोग्य है।

6. ठेकेदार फर्म वर्ष में एक बार संस्थान में तैनात अपने सभी कार्मिकों की चिकित्सीय दक्षता जांच करायेगी और संस्थान को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठेकेदार द्वारा चिकित्सकीय रूप से अनफिट किसी भी कार्मिक को तैनात नहीं किया जाएगा।

7. ठेकेदार फर्म अपने तैनात कार्मिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी।

8. ठेकेदार फर्म समय-समय पर तैनाती की तारीख से 3 माह के भीतर अपने सभी तैनात कार्मिकों का यूएएन जमा करेगी।

9. ठेकेदार फर्म संस्थान में तैनात अपने सभी कार्मिकों को पहचान पत्र जारी करेगी, जिसे उन्हें वर्दी के साथ प्रदर्शित करना चाहिए।

10. ठेकेदार फर्म कार्मिकों के आगमन और प्रस्थान के समय को दर्ज करने के लिए अपना स्वयं की बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करेगी और माह के अंत में मासिक बिल के भाग के रूप में यह उपस्थिति विवरण रिपोर्ट संस्थान द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक को प्रस्तुत की जाएगी।

11. ठेकेदार फर्म लागू कानूनों के अनुसार पारिश्रमिक, अवकाश आदि मामलों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और संस्थान इस संबंध में किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

12. ठेकेदार फर्म उनके द्वारा तैनात किये गए कार्मिकों से संबंधित विवादों की शिकायतों के निवारण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। संस्थान, किसी भी तरह से, इस तरह के मुद्दों के निपटान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

13. ठेकेदार फर्म अपने तैनात कार्मिकों की तत्परता और सतर्कता की जांच करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार कार्य समय के दौरान औचक निरीक्षण की व्यवस्था करेगी और यदि आवश्यक हो, तो संस्थान को सूचित करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती है।

14. ठेकेदार फर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तैनात कार्मिकों की उदासीनता, लापरवाही या कर्तव्य विमुखता के कारण संस्थान और उसकी संपत्ति को होने वाले सभी नुक्सान/ क्षति के लिए जिम्मेदार होगी, और संस्थान की संतुष्टि के अनुसार ऐसे नुक्सान की भरपायी करेगी।

15. ठेकेदार फर्म समय-समय पर संस्थान में प्रविष्टि/ तैनाती के पूर्व अपने कार्मिकों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का पुलिस द्वारा सत्यापन सुनिश्चित करेगी और एक महीने की अवधि में पुलिस सत्यापन के सभी दस्तावेजों को कार्मिक के बायोडाटा और सत्यापित फोटो के साथ प्रस्तुत करेगी।

16. इसके बाद ठेकेदार फर्म अपने स्वयं के खर्च पर हर छह महीने के अंतराल पर कार्मिकों का पुलिस सत्यापन करायेगी और समय-समय पर संस्थान को दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

17. ठेकेदार फर्म केवल ऐसे ही श्रमिकों को तैनात करेगी, जिनके चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन पुलिस द्वारा कराया गया है और जिनके विरुद्ध किसी भी तरह की प्रतिकूल जानकारी प्राप्त न हुई हो।

18. ठेकेदार, संस्थान परिसर में तैनात अपने सभी कार्मिकों की एक सूची प्रदान करेगा, जिसमें उनके स्थायी और वर्तमान पते के साथ नवीनतम फोटो भी हो।

19. ठेकेदार फर्म अपने कार्मिकों की नियुक्ति और सेवा समाप्ति संबंधी सभी कृत्यों के लिए जिम्मेदार होगी। अनुबंध में निर्धारित की गयी ड्यूटी के संपादन के दौरान तैनात कार्मिक के घायल होने/ मृत्यु/ स्वास्थ्य आदि मामलों में संस्थान किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

20. ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए कार्मिक किसी भी कर्मचारी संघ और एसोसिएशन की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।

21. संस्थान तैनात व्यक्तियों को किसी तरह का परिवहन, कैंटीन, चिकित्सा या अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा।

22. ठेकेदार फर्म अपने तैनात कार्मिकों को अपने खर्च पर वर्दी प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे ड्यूटी के दौरान साफ सुथरी वर्दी पहनें और ड्यूटी के दौरान सतर्क रहें। ठेकेदार संस्थान की पूर्व स्वीकृति के बाद वर्दी को अंतिम रूप देगा।

23. ठेकेदार फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा तैनात किए गए कार्मिक किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों, कदाचार या अवांछनीय कार्यों या ऐसे किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होंगे,

जो निविदा के शर्तों और दशाओं के अनुरूप नहीं हो और संस्थान द्वारा समय-समय जारी किए गए निर्देशों के विपरीत हो। एजेंसी और/ अथवा उसके कार्मिकों की ओर से किसी भी तरह के उल्लंघन के मामले में, एजेंसी ही पूर्णत: जिम्मेदार होगी और संस्थान किसी भी तरह से किसी भी आपराधिक या नागरिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

24. ठेकेदार फर्म समय-समय पर लागू कानून के अनुसार तैनात कार्मिकों को भुगतान के रूप में साप्ताहिक अवकाश प्रदान करेगी और कोई भी कार्मिक संस्थान में दिन में 8 घंटे की पाली से अधिक ड्यूटी पर नहीं होगा।

25. ठेकेदार फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि निर्धारित अनुबंध कार्य को पूरा करने के लिए समय-समय पर संस्थान की आवश्यकता के अनुसार श्रमशक्ति उपलब्ध करायी गयी है। यदि कोई तैनात कार्मिक अवकाश पर या अनुपस्थित है, तो उसके स्थान पर किसी अन्य कार्मिक की वैकल्पिक तैनाती की जाएगी।

26. ठेकेदार फर्म, अपने कार्मिकों को मासिक वेतन-पर्ची उपलब्ध कराएगी, जिसमें मूल वेतन, वीडीए के साथ-साथ वेतन से होने वाली कटौतियों का विवरण होगा और इस विवरण की प्रतियों को मासिक बिल के साथ संस्थान को प्रस्तुत किया जाएगा।

27. ठेकेदार फर्म अपने कार्मिकों को समय से पारिश्रमिक के वितरण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और निर्धारित समय अवधि में ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी इत्यादि का प्रेषण भी करेगी और इस वजह से लगने वाले सभी जुर्मानों को वहन करेगी।

28. ठेकेदार फर्म कार्मिक के पारिवारिक विवरणों को सत्यापित करने के बाद तीन महीने के भीतर ईएसआई कार्ड देने के लिए भी जिम्मेदार है।

29. ठेकेदार फर्म संस्थान में कार्यरत अपने सभी कार्मिकों के कानूनी दायित्वों हेतु पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, ईएसआई अधिनियम, कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923, पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम 1952, बाल रोजगार अधिनियम 1938, बोनस भुगतान अधिनियम 1965(संस्थान द्वारा वास्तविक बोनस की प्रतिपूर्ति की जाएगी), न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938 और/ अथवा समय-समय पर लागू अन्य नियमों/ विनियमों और/ विधानों के प्रावधानों का अनुपालन करेगी। इनके अधीन तय दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर संस्थान, ठेकेदार के मासिक भुगतानों से ऐसे किसी भी नुकसान या खर्च को वसूलने का हकदार होगा, जिन्हें ऐसे दावों, मांगों, हानि या क्षति के कारण भुगतना पड़ सकता है। ठेकेदार समय-समय पर संबंधित कानूनों/ नियमों में होने वाले संशोधनों के बारे में संस्थान को सूचित करता रहेगा।

30. यदि ठेकेदार संबंधित कानूनों के तहत किसी भी तरह के वैधानिक/ कराधान दायित्व का पालन करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप एलएनआईपीई को किसी तरह का मौद्रिक या अन्यथा नुकसान, दायित्व होता है, तो एलएनआईपीई इसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार के लंबित बिलों या निष्पादन सुरक्षा जमाराशि से प्राप्त करने का हकदार होगा।

31. ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए कार्मिकों पर पूर्ण नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से उनके पास ही होगा। संस्थान अपने संबंधित अधिकारी और/ या पर्यवेक्षकों के माध्यम से कार्मिकों के कर्तव्यों की देखरेख करेगा, जो एजेंसी से संपर्क रखेंगे और आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

32. ठेके या उसके किसी भी भाग को उपभाड़ेदारी पर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसा करने पर, ठेके को रद्द कर दिया जाएगा, और ऐसा करना एजेंसी को अनुबंध की समाप्ति और निष्पादन सुरक्षा जमाराशि और/ या ईएमडी को जब्त किए जाने और जैसा भी मामला हो, अन्य उपयुक्त कार्रवाई हेतु उत्तरदायी बना देगा।

33. एजेंसी द्वारा तैनात व्यक्तियों द्वारा ड्रग्स और मदिरा का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध है।

34. ठेकेदार फर्म द्वारा तैनात की जा रही श्रमशक्ति की संस्थान द्वारा हर समय उनके पूर्ववृत, उपयुक्तता और कौशल का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग की जा सकती है। संस्थान में किसी व्यक्ति को तैनात करने के पूर्व ठेकेदार फर्म रिकॉर्ड और/ या निर्देशों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगी, यदि कोई हो।

35. यदि ठेकेदार अपने दायित्वों के निर्वहन या किसी तरह की चूक न होने या उत्तरदायित्व का वहन करने में विफल रहता है, तो संस्थान द्वारा वर्तमान निविदा के लिए ठेकेदार फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी निष्पादन सुरक्षा जमाराशि का उपयोग किया जा सकता है।

36. ठेकेदार फर्म अपने कार्मिकों की तारीख-वार उपस्थिति का रिकॉर्ड बनाएगी और आवश्यकता पड़ने पर संस्थान को सत्यापन या अवलोकन के लिए प्रस्तुत करेगी।

37. संस्थान समय-समय पर लागू होने वाले आई टी अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत ठेकेदार को किए गए सभी भुगतानों के स्रोत पर ही आयकर, जीएसटी और लागू अन्य देय करों की कटौती करेगा।

38. ठेकेदार फर्म अपने कर्मचारियों की लापरवाही/ गलती के कारण संस्थान के उपकरणों, मशीनरी या सिस्टम में हुई किसी भी तरह की क्षति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और उसे ऐसी क्षति को अपने जोखिम और लागत पर दुरुस्त कराना होगा। .

39. ठेकेदार फर्म अपने कार्मिकों को तैनाती इस तरह से करेगी कि उन्हें कानूनों के प्रावधानों के तहत साप्ताहिक आराम मिल सके।

40. ठेकेदार फर्म क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करने या निलंबित करने या समाप्त करने के मामले में संस्थान को सूचित करेगी।

41. ठेकेदार फर्म का अधिकृत प्रतिनिधि महीने में कम से कम एक बार ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए संस्थान के अनुभाग प्रमुख से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेगा, ताकि संस्थान द्वारा वांछित प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

42. जब तक एक औपचारिक अनुबंध तैयार और संपादित नहीं हो जाता है, तब तक ठेकेदार फर्म की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा दस्तावेज दोनों पक्षों के मध्य एक बाध्यकारी अनुबंध के रूप में कार्य करेगा।

क्यू. मध्यस्थता और न्यायाधिकार क्षेत्र :

1. इस निविदा के फलस्वरूप उत्पन्न या उससे संबंधित किसी विवाद/ मतभेद, जिसमें शर्तों और दशाओं की विवेचना शामिल है, को संबंधित पक्षों द्वारा परस्पर आपसी चर्चा के माध्यम से सौहार्दपूर्वक हल किया जाएगा।

2. हालाँकि, यदि विवादों का समाधान आपसी चर्चा के माध्यम से नहीं होता है, तो मामले को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा, जिसे कुलपति, एलएनआईपीई, ग्वालियर द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

3. यदि प्रकरण मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा भी नहीं सुलझता है, तो इस विवाद का निपटारा केवल ग्वालियर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही होगा।

ठेकेदार फर्म का कार्य दायरा

यह संस्थान पूरी तरह से आवासीय है, जिसकी छात्र/छात्रा संख्या लगभग 900 है और इसके 02 भोजनालयों (पुरुष एवं महिला) का संचालन संस्थान द्वारा ही किया जाता है। अत: समय-समय पर संस्थान की आवश्यकता के अनुसार भोजनालयों के संचालन और रखरखाव हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य पाली-वार बाहरी स्रोत से कराए जाने हैं :-

- तीन समय का भोजन तैयार करना और परोसना - सुबह का नाश्ता, दोपहरभोज एवं रात्रिभोज;
- संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार सुबह एवं शाम की चाय एवं/अथवा नाश्ता तैयार करना और परोसना;
- सामग्री भंडार एवं इन्वेंट्री का प्रबंधन एवं नियंत्रण;
- खाना बनाने के बर्तन, रसोई और खाना परोसने की सामग्री की सफाई करना;
- रसोई (किचिन), डायनिंग स्थल और अन्य सहायक स्थलों की सफाई करना;
- भोजनालय से संबंधित उपकरण, बर्तन एवं अन्य सामग्रियों की सुरक्षा;
- रसोई (किचिन) एवं डायनिंग स्थल में उपकरणों का रखरखाव;
- समय-समय पर संस्थान के औपचारिक/शासकीय कार्यक्रमों में समान सेवायें प्रदान करना।

भोजनालय वार्डन(नों) और भोजनालय पर्यवेक्षक(कों) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में उपर्युक्त कर्तव्यों (ड्यूटी) को करने के लिए श्रमिकों की तैनाती का विवरण निम्नानुसार हैं, जिसे समय-समय पर संस्थान की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है:-

स्थान/ कर्तव्यों (ड्यूटी) का विवरण	श्रमिकों की संख्या
पुरुष भोजनालय (डिश वाशर)	02
पुरुष भोजनालय (धुलाई स्थल)	02
पुरुष भोजनालय (यू जी काउंटर)	02
पुरुष भोजनालय (पी जी काउंटर)	02
पुरुष भोजनालय (सब्ज़ी कटाई स्थल)	04
पुरुष भोजनालय (चपाती मेकिंग मशीन)	04
पुरुष भोजनालय (हाउसकीपिंग)	04
महिला भोजनालय	04
महिला भोजनालय (स्वच्छता इत्यादि)	02
कुल	**26**

संलग्नक 'ए'

ई.एम.डी. प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था)

संस्थान के भोजनालय (मैस) के संचालन एवं रखरखाव हेतु अकुशल श्रमिकों की बाह्य स्रोतों से तैनाती हेतु वार्षिक अनुबंध प्रदान करने के लिए

सेवा में,

कुलसचिव
एल एनआई पी ई,
ग्वालियर

संस्थान के भोजनालय (मैस) के संचालन एवं रखरखाव हेतु अकुशल श्रमिकों की बाह्य स्रोतों से तैनाती हेतु वार्षिक अनुबंध प्रदान करने के लिए ई.एम.डी. प्रस्तुत करने हेतु

श्रीमान,

आपकी खुली निविदा के लिए, मैं/ हम प्रश्नगत अनुबंध हेतु अपनी बोली/ निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं और ईएमडी राशि का बैंकड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न है, जिसका विवरण निम्नवत है : -

राशि	
बैंक ड्राफ्ट क्रमांक	
दिनांक	
बैंक का नाम	
शाखा	

घोषणा

1. हमने निविदा दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और उसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप उपर्युक्त कार्यों के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तावित करते हैं।
2. हम घोषणा करते हैं कि हमने प्रत्येक निविदा दस्तावेज की प्रत्येक दशा और कार्य के दायरे को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और कार्य का भौतिक/ कार्यक्षेत्र पर मूल्यांकन करके इसे समझने के बाद, हम बिना किसी शर्त या विचलन के अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।
3. हम बोली के खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक वैध रखने के लिए सहमत हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है।
4. यदि इस बोली को स्वीकार किया जाता है, तो हम एतद् द्वारा निविदा दस्तावेज में वर्णित सभी शर्तों और दशाओं का पालन करने और उसे पूरा करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, और हमारे भाग पर किसी भी तरह की चूक होने की स्थिति में, हम इस आशय की अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं कि ईएमडी पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाये।
5. जब तक कि एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक निविदा दस्तावेज और हमारी लिखित स्वीकृति दोनों पक्षों के मध्य एक बाध्यकारी अनुबंध की तरह मान्य होगा।
6. मैं / हम इस बात की सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मेरे/ हमारे लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

दिनांक :
स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

एजेंसी का नाम, पता, दूरभाष नं. (मुहर सहित): _____

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था)

संलग्नक 'बी'

तकनीकी बोली के लिए प्रपत्र

संस्थान के भोजनालय (मैस) के संचालन एवं रखरखाव हेतु अकुशल श्रमिकों की बाह्य स्रोतों से तैनाती हेतु वार्षिक अनुबंध प्रदान करने के लिए

क्रमांक	आवश्यक जानकारी का विवरण	बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण	पेज क्रमांक पर प्रतिलिपि संलग्न
1	बोलीकर्ता फर्म का नाम		
2	बोलीकर्ता फर्म का पूरा पता		
3	बोलीकर्ता का – ए) मोबाइल/ फोन नंबर बी) ईमेल सी) वेबसाइट		
4	बोलीदाता फर्म के निगमन की तिथि **(सही तिथि प्रस्तुत करें और सहायक दस्तावेज अर्थात सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)**		
5	भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कंपनी अथवा कानूनी रूप से गठित कॉरपोरेट निकाय अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक साझेदार फर्म अथवा मालिकाना फर्म के रूप में निगमन **(विवरण दें और सहायक दस्तावेजों को संलग्न करें)**		
6	कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 **(पूर्ववर्ती तीन महीनों के ईपीएफ प्रेषण की ऑनलाइन ईसीआर के साथ इसकी स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें)**		
7	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 **(पूर्ववर्ती तीन महीनों के ईएसआई प्रेषण के चालान के साथ इसकी स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें)**		
8	सीजीएसटी/एसजीएसटी पंजीकरण क्रमांक **(पूर्ववर्ती तीन महीनों के जीएसटी रिटर्न के साथ पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें)**		
9	आयकर स्थायी खाता संख्या। **(पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें)**		
10	अनुबंध श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस/ पंजीकरण **(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें)**		

11	बोलीकर्ता कंपनी का बैंक खाता **(पिछले एक माह के विवरण के साथ बैंक खाते का विवरण दें)**	खाता क्रमांक खाते का प्रकार बैंक शाखा आई एफ एस सी	
12	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार अनुमानित लागत का न्यूनतम 80% होना चाहिए **(निविदा के संलग्नक – सी में निर्धारित प्रारूप में किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी "कारोबार प्रमाण पत्र" के साथ इन तीन वर्षों की लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरणी और आयकर रिटर्न संलग्न करें)**	<u>वित्तीय वर्ष कारोबार(रुपये में)</u> 2015-16 2016-17 2017-18	
13	निविदा के अनुसार किसी सरकारी संगठन/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ शासकीय शैक्षिक संस्थान/ अन्य एजेंसियों (अन्य एजेंसियों से अभिप्राय सांविधिक निकाय एवं केंद्र/ राज्य सरकार के स्वामित्व और/या नियंत्रणाधीन सभी निकायों से है।)में पिछले 07 वर्ष के दौरान (सितम्बर 2019 तक) समान प्रकृति के कार्य [भोजनालय का संचालन अथवा भोजनालय के संचालन हेतु श्रमिक उपलब्ध कराना] को सफलतापूर्वक/ संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने का निम्नवत अनुभव :- समान प्रकृति के ऐसे तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 40% से कम न हो। अथवा समान प्रकृति के ऐसे दो कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत कुल अनुमानित लागत के 50% से कम न हो। अथवा समान प्रकृति का एक ऐसा कार्य, जिसकी लागत कुल अनुमानित लागत के 80% से कम न हो। **[उपर्युक्त कार्य आदेशों की प्रतिलिपि के साथ संबंधित ठेका पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न करें।]**		
14	बोलीकर्ता किसी सरकारी संगठन/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ शासकीय शैक्षिक संस्थान/ अन्य एजेंसियों, जिसका अभिप्राय सांविधिक निकाय एवं केंद्र/ राज्य सरकार के स्वामित्व और/या नियंत्रणाधीन सभी निकायों से है, में समान प्रकृति के कार्य (भोजनालय का संचालन अथवा भोजनालय के संचालन हेतु श्रमिक उपलब्ध कराना) के लिए संस्थान के कार्यों हेतु आवश्यक कुल श्रम शक्ति का कम से कम 80% प्रदान करता रहा		

	है, इस संबंध में संगठन-वार सूची और पिछले तीन महीनों की एनईएफटी द्वारा भुगतान का दस्तावेजी साक्ष्य, श्रमिकों के नाम एवं भुगतान किए गए वेतन का विवरण प्रस्तुत करें		
15	इस आशय का विवरण कि बोलीकर्ता का ग्वालियर में कार्यालय है, जिसमें दूरभाष, वाहन आदि जैसी प्रभावी संचार सुविधाएं और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्याबल मौजूद है। **(इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें)** अन्यथा बोलीकर्ता को इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि अनुबंध प्राप्त होने की स्थिति में, वे इसके प्रारंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर ग्वालियर में कार्यालय खोलेंगे ।		
16	इस आशय की घोषणा रुपये 100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर शपथपत्र द्वारा प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, कि ; (ए) बोलीकर्ता कंपनी अथवा फर्म के स्वामी/ फर्म/ भागीदार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। (बी) बोलीकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी, आयकर जैसे वैधानिक देयों के भुगतान में चूक नहीं की है। (सी) बोलीकर्ता को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्त निकाय/ शासकीय शैक्षणिक संस्थान/ निजी संगठन संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है; (डी) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोलीकर्ता का कोई भी अनुबंध समाप्ति तिथि के पूर्व निरस्त नहीं किया गया है।		
17	अन्य कोई सूचना		

<u>घोषणा</u>

1. हमने निविदा दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और उसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप उपर्युक्त कार्यों के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तावित करते हैं।
2. हम घोषणा करते हैं कि हमने प्रत्येक निविदा दस्तावेज की प्रत्येक दशा और कार्य के दायरे को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और कार्य का भौतिक/ कार्यक्षेत्र पर मूल्यांकन करके इसे समझने के बाद, हम बिना किसी शर्त या विचलन के अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।
3. हम बोली के खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक वैध रखने के लिए सहमत हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है।
4. क्या इस बोली को स्वीकार किया जाना चाहिए, हम एतद् द्वारा निविदा दस्तावेज में वर्णित सभी शर्तों और दशाओं का पालन करने और उसे पूरा करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, और हमारे भाग पर किसी भी तरह की चूक होने की स्थिति में, हम इस आशय की अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं कि ईएमडी पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाये।
5. जब तक कि एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक निविदा दस्तावेज और हमारी लिखित स्वीकृति दोनों पक्षों के मध्य एक बाध्यकारी अनुबंध की तरह मान्य होगा।
6. मैं / हम इस बात की सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मेरे/ हमारे लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

दिनांक :च
स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

एजेंसी का नाम, पता, दूरभाष नं. (मुहर सहित): _____

संलग्नक 'सी'

कारोबार प्रमाणपत्र

संस्थान के भोजनालय (मैस) के संचालन एवं रखरखाव हेतु अकुशल श्रमिकों की बाह्य स्रोतों से तैनाती हेतु वार्षिक अनुबंध प्रदान करने के लिए

(मूलप्रति में प्रस्तुत किया जाना है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ..... का पिछले तीन वर्षों में कारोबार और अर्जित हानि/लाभ निम्नलिखित है :-

वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रुपये में)	कुल लाभ/हानि
2017-18		
2016-17		
2015-16		

उपरोक्त जानकारी/ आंकड़े हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रामाणिक हैं और उक्त फर्म की बैलेंस शीट और/ या आयकर रिटर्न से प्राप्त हुए हैं।

दिनांक :

स्थान : चार्टर्ड एकाउंटेंट के हस्ताक्षर और मुहर

पंजीकरण संख्या . .....

बोलीकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/ हम एतद् द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करते हैं और इन तीनों वित्तीय वर्षों की संलग्न बैलेंस शीटों और आयकर रिटर्न के आधार पर इसकी शुद्धता/ सत्यता का वचन देते हैं। मैं/ हम इस बात से अवगत हैं कि किसी भी गलत सूचना/ मनगढ़ंत दस्तावेज को प्रस्तुत करने से अनुबंध की अवधि के दौरान या किसी भी स्तर पर मेरी/ हमारी निविदा निरस्त हो जाएगी, साथ ही समुचित कानून के तहत अभियोजन हेतु उत्तरदायी होंगे।

दिनांक :

स्थान :

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

एजेंसी का नाम, पता, दूरभाष नं. (मुहर सहित): _____

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
(विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था)

संलग्नक 'डी'
मूल्य बोली के लिए प्रपत्र

संस्थान के भोजनालय (मैस) के संचालन एवं रखरखाव हेतु अकुशल श्रमिकों की बाह्य स्रोतों से तैनाती हेतु वार्षिक अनुबंध प्रदान करने के लिए

बोलीकर्ता सुरक्षा एजेंसी का नाम और पूरा पता	

हम एतद् द्वारा निम्नलिखित दर प्रस्तावित करते हैं :-

क्रमांक	मद का विवरण	प्रस्ताव
1	अर्ध-कुशल और/ या अकुशल श्रमिकों को पारिश्रमिक	मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भारत सरकार, नईदिल्ली द्वारा समय-समय पर ग्वालियर शहर के श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक के अनुसार
2	ईपीएफ अंशदान	समय-समय पर लागू ईपीएफ अधिनियम के अनुसार।
3	ईएसआई अंशदान	समय-समय पर लागू ईएसआईसी अधिनियम के अनुसार।
4	जीएसटी या कोई अन्य लागू कर	समय-समय पर लागू कानून के अनुसार।
5	पर्यवेक्षी प्रभार/ लाभ गुंजाइश (प्रतिशत में) (राशि की गणना केवल मूल वेतन पर ही की जाएगी (यानि डीए को छोड़कर) जैसा कि मुख्य श्रमायुक्त, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है)	अंकों में : _____ शब्दों में : _____

घोषणा

1. हमने निविदा दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और उसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप उपर्युक्त कार्यों के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तावित करते हैं।
2. हम घोषणा करते हैं कि हमने प्रत्येक निविदा दस्तावेज की प्रत्येक दशा और कार्य के दायरे को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और कार्य का भौतिक/ कार्यक्षेत्र पर मूल्यांकन करके इसे समझने के बाद, हम बिना किसी शर्त या विचलन के अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।
3. हम बोली के खुलने की तिथि से 180 दिनों की अवधि तक वैध रखने के लिए सहमत हैं और यह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है।
4. क्या इस बोली को स्वीकार किया जाना चाहिए, हम एतद् द्वारा निविदा दस्तावेज में वर्णित सभी शर्तों और दशाओं का पालन करने और उसे पूरा करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, और हमारे भाग पर किसी भी तरह की चूक होने की स्थिति में, हम इस आशय की अपरिवर्तनीय सहमति देते हैं कि ईएमडी पूरी तरह से ज़ब्त कर ली जाये।
5. जब तक कि एक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक निविदा दस्तावेज और हमारी लिखित स्वीकृति दोनों पक्षों के मध्य एक बाध्यकारी अनुबंध की तरह मान्य होगा।
6. मैं / हम इस बात की सहमति देते हैं कि संस्थान की निविदा समिति और/ या सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मेरे/ हमारे लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा।

दिनांक :
स्थान : बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : _____

एजेंसी का नाम, पता, दूरभाष नं. (मुहर सहित): _____